न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा।

पी0ए0 केस नं0– 28/2018–19

गुलाबी हेम्ब्रम बनाम् रैयान मौजा–लोहा ताम्बा अगैया

–: आदेश :–

14.09.2021

वर्तमान प्रक्रिया आवेदिका गुलाबी हेम्ब्रम, पति–स्व0 मीरूलाल मराण्डी, सा0–लोहा ताम्बा अगैया, थाना–राजाभीठा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–लोहा ताम्बा अगैया थाना नं0–07 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के कार्यालय पत्रांक–470/रा0 दिनांक–26.08.2019 प्राप्त है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–470/रा0 दिनांक–26.08.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लोहा ताम्बा अगैया थाना नं0–07 एक प्रधानी मौजा है। जिसमें ग्राम प्रधान स्व0 मीरूलाल मराण्डी, पिता–शिवचरण मराण्डी के मृत्यु के पश्चात् प्रधानी पद रिक्त हो गया है। आवेदिका गुलाबी हेम्ब्रम पूर्व प्रधान मीरूलाल मराण्डी की पत्नी है। मौजा–लोहा ताम्बा अगैया थाना नं0–07 में कुल जमाबंदी सं0–01 तथा जमाबंदी रैयत के रूप में मीरूलाल मरण्डी का नाम दर्ज है। रिक्त हुए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों/रैयतों द्वारा आवेदिका गुलाबी हेम्ब्रम को ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है तथा आवेदिका गुलाबी हेम्ब्रम उक्त पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य है। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों/रैयतों द्वारा उन्हें मौजा–लोहा ताम्बा अगैया थाना नं0–07 का प्रधान नियुक्त करने पर सहमति प्रदान की है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत आवेदिका गुलाबी हेम्ब्रम, पति–स्व0 मीरूलाल मराण्डी, सा0–लोहा ताम्बा अगैया को मौजा–लोहा ताम्बा अगैया थाना नं0–07 का प्रधान नियुक्त करने हेतु नियमानुसार कर्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1575/सा0 दिनांक–03.09.2021 के द्वारा दिनांक–14.09.2021 को मौजा–लोहा ताम्बा अगैया थाना नं0–07 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु आयोजित ग्राम सभा में आवेदिका गुलाबी हेम्ब्रम को ग्राम प्रधान के रूप में नियुक्ति हेतु ग्राम सभा में उपस्थित रेयतों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

F/Order.

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदिका मौजा के 16 आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनिमय, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की आयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनिमय, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर गुलाबी हेम्ब्रम, पति–स्व0 मीरूलाल मराण्डी, सा0–लोहा ताम्बा अगैया, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत को मौजा–लोहा ताम्बा अगैया थाना नं0–07 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

14/09/21
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

14/09/21
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

23/10/2021 अभिलेख उपस्थापित। नवनियुक्त प्रधान के द्वारा कोषागार में जमा चालान की प्रति एवं कबुलियतनामा दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:15:09 +05:30
Location: 192.168.8.107

F/Order.